कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

कमांक 3981 दिनांक 23-7-20

आवेदन/नोटिस सूचना

प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग के परिपत्र एफ16(1)(44) निमअ/मसुसके/10/पार्ट–IA /5358 दिनांक 10.2.2014 के अनुसरण में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013(2013 का 14) के अध्याय–III स्थानीय शिकायत समिति का गठन की धारा 6(1) की पालना में जिला अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिनियम प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं अधिकारों का निर्वहन करते हुए जयपुर जिले के लिए अधिनियम 7(1) के अन्तर्गत स्थानीय शिकायत समिति के दो सदस्य पद हेतु निम्नानुसार अनुभव हो वो अपना आवेदन दिनांक 17.08.2020 को कार्यालय समय तक सदस्य सचिव,स्थानीय शिकायत समिति एवं उपनिदेशक,महिला अधिकारिता,जयपुर कमरा नम्बर 206, कलेक्ट्रेट परिसर में प्रस्तुत कर सकती है।

1. **अध्यक्ष पद हेतु**– सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित/उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला जिसे महिलाओ संबंधी मुद्दो पर कार्य का अच्छा अनुभव हो।
2. **सदस्य पद (1)हेतु** – जिले के ब्लॉक/तहसील/वार्ड/नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत महिला
3. **सदस्य पद (2) हेतु**– स्वयं सेवी संस्थाओं से नामांकित दो प्रतिनिधि(जिनमें से एक महिला होना आवश्यक है। जिन्हें लैंगिक उत्पीडन से संबंधित मुद्दो पर विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा इसमें निम्नलिखित में से कोई सम्मिलित हो सकेगा।
   - समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 साल के अनुभव वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के सशक्तिकरण तथा विशिष्टतया कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
   - ऐसा व्यक्ति जिसे श्रम,रोजगार,सिविल या दांडिक विधि में अर्हता प्राप्त है।
   - उपरोक्त दो में से कम–से –कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/जनजाति/अतिरिक्त पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय (समय –समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित) की महिला होनी आवश्यक है।

नोटः–उक्त पद एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का वेतन/मानदेय नहीं दिया जावेगा।

सं- आवेदन पत्र

23/7/2020

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर।

कमांक दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान आयुक्त, महिला अधिकारिता,जयपुर।
3. निजी सचिव,जिला कलक्टर,जयपुर।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर।
5. उपनिदेशक,जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि समाचार पत्र में प्रचार–प्रसार करवाने का श्रम करावें।
6. नोटिस बोर्ड..
7. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं उपनिदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
जयपुर

D/drive/Collector letter/letter/ 396

स्थानीय शिकायत समिति,जिला–जयपुर

आवेदन प्रपत्र

आवेदक की फोटो

1	पद जिसके लिए आवेदन किया है (अध्यक्ष / सदस्य) नोटः–अध्यक्ष / सदस्य के लिए पृथक–पृथक आवेदन करे।	
2	आवेदक का नाम	
3	आवेदक की जन्म तिथि	
4	आवेदक का पूर्ण पता	
5	टेलीफोन व मोबाईल नंबर	
6	ई–मेल आइडी	

7	श्रेणी(सामान्य / ओबीसी / अल्पसंख्यक / अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य) संलग्न करे।	
8	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (उच्चतम) संलग्न करे।	
9	आवेदक के द्वारा किये गये सामाजिक कार्य (दस्तावेज सहित पूर्ण विवरण के साथ संलग्न करे)	
10	आवेदक को लैंगिक उत्पीडन से संबंधित मुद्दो पर विशेषज्ञता प्राप्त है (हां / नही) साक्ष्य के रूप में दस्तावेज संलग्न करे।	
11	अन्य विवरण	

हस्ताक्षर